भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3846
उत्तर देने की तारीख- 11/08/2026

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद

3846. श्री के. राधाकृष्णनः
श्री बैन्त्री बेहननः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य स्वायत्त निकायों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित कुल पदों का मंत्रालय/संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2017 से 2026 के बीच आयोजित भर्ती अभियानों की संख्या तथा इन अभियानों के माध्यम से लिंग (महिला/पुरुष) और दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर वर्ष-वार भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) जून, 2026 की स्थिति के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन-आधारित ढांचा विकसित करने पर विचार किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 34 यह अनिवार्य करती है कि प्रत्येक समुचित सरकार, सरकारी कार्यालयों में पदों के प्रत्येक समूह की कैडर संख्या में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए 4 प्रतिशत से कम आरक्षण प्रदान नहीं करेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं। डीओपीटी, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 द्वारा इस विभाग को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के

अनुसार, 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार सभी केंद्रीय मंत्रालयों में कार्यरत दिव्यांगजनों की कुल संख्या 31261, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में कार्यरत दिव्यांगजनों की कुल संख्या 23156 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत दिव्यांगजनों की कुल संख्या 12105 है।

(घ): दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 35 यह अनिवार्य करती है कि समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे कि उनके कार्यबल में कम से कम पांच प्रतिशत दिव्यांगजन शामिल हों।
